

तृतीय अध्याय

वित्तीय प्रतिवेदन

एक प्रभावी आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली तथा प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना की उपलब्धता राज्य सरकार द्वारा एक कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की गुणवत्ता, अच्छे प्रशासन के लक्ष्यों में से एक है। यदि अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन प्रभावी एवं क्रियात्मक हो तो वे राज्य सरकार को मूलभूत जिम्मेदारियों को निभाने में, जिसमें योजना की रणनीति एवं निर्णय लेने की क्षमता सम्मिलित है, सहायक होता है। यह अध्याय वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देश सहित राज्य सरकार द्वारा अनुपालन के विहंगावलोकन एवं स्थिति को प्रस्तुत करता है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

राज्य सरकार एजेंसियों, निकायों और संस्थाओं जैसे विश्वविद्यालय, अस्पताल, सहकारी संस्थाओं तथा अन्य को सहायक अनुदान वितरित करता है। इस तरह जारी किए गए अनुदान इन एजेंसियों, निकायों तथा संस्थाओं के दिन प्रतिदिन के परिचालन व्यय को पुरा करने और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए उपयोग किया जाता है।

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-1 नियम 182 के अनुसार वार्षिक या अनावर्ती सशर्त अनुदान के मामलों में, जिस विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर से सहायक अनुदान आहरित किया जाता है, वह अधिकारी जिस वर्ष से अनुदान संबंधित है उसके आगामी वर्ष की 30 सितम्बर या उससे पहले महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।

यह देखा गया है कि वर्ष 2007-08 से 2014-15 की अवधि में भुगतान किये गये अनुदान की कुल राशि ₹ 37379.61 करोड़ के 94497 उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया थे, जिसमें से कुल ₹ 16476.92 करोड़ के 15254 उपयोगिता प्रमाण पत्र (44 प्रतिशत) को 31 मार्च 2015 तक महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय को जमा नहीं किया गया।

विभागवार लंबित प्रमाण पत्रों का ब्यौरा परिशिष्ट 3.1 में दर्शाया गया है। अवधिवार लंबित प्रमाण पत्रों की स्थिति तालिका 3.1 में दिया गया है।

तालिका 3.1 उपयोगिता प्रमाण पत्र का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान एवं भुगतान		उपयोगिता प्रमाण पत्र			
			प्राप्त		बकाया	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2012-13 तक	55122	21080.19	50216	13045.67	4906	8034.52
2013-14	34474	11347.99	29010	7311.85	5464	4036.14
2014-15*	4901	4951.43	17	545.17	4884	4406.26
योग	94497	37379.61	79243	20902.69	15254	16476.92

*सिवाय जहाँ स्वीकृति आदेश अन्यथा निर्दिष्ट करता हो, वर्ष 2014-15 के अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र सितंबर 2015 में देय होगा।

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2014-15)

वर्ष 2007-08 से 2012-13 तक 15254 उपयोगिता प्रमाण पत्र में से कुल राशि ₹ 8034.52 करोड़ के 4906 उपयोगिता प्रमाण पत्र (49 प्रतिशत) लंबित थे, ₹ 4036.14 करोड़ के 5464 उपयोगिता प्रमाण पत्र (24 प्रतिशत) वर्ष 2013-14 से लंबित थे एवं ₹ 4406.26 करोड़ के 4884 उपयोगिता प्रमाण पत्र (27 प्रतिशत) वर्ष 2014-15 के मार्च 2015 तक लंबित थे। उपयोगिता प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति से यह पता नहीं लगाया जा सका कि अनुदानों को उस उद्देश्य के लिए ही खर्च किया गया जिसके लिए अनुदान दिया गया था।

उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने में देरी मुख्यतः स्थानीय निकायों को मुआवजा और आवंटन (₹ 5643.69 करोड़) अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 4669.59 करोड़), शहरी विकास (₹ 2482.86 करोड़), ग्रामीण रोजगार (₹ 1594.97 करोड़), उर्जा (₹ 1054.49 करोड़), सड़क एवं पुल (₹ 505.47 करोड़), ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम (₹ 190.44 करोड़), गैर-पारंपरिक उर्जा के संसाधन (₹ 208.82 करोड़) एवं प्राकृतिक आपदा में राहत (₹ 126.59 करोड़) से संबंधित है।

3.2 स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों एवं अनुदानग्राही संस्थानों का लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

3.2.1 नियंत्रक महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम 1971 की धारा 14 और 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा

नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा किए जाने वाले संस्थाओं/संगठनों को चिन्हित करने के क्रम में विभिन्न संस्थाओं को प्रदान किये गये वित्तीय सहायता, सहायता के उद्देश्य एवं संस्थाओं के कुल व्यय का एक विस्तृत विवरण सरकार/विभागाध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक है। आगे, लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम 2007 में उल्लेख है कि सरकार तथा विभागाध्यक्ष जो संस्थाओं या प्राधिकरणों को अनुदान तथा/अथवा ऋण संस्वीकृत करते हैं, को प्रत्येक वर्ष जुलाई तक (क) सहायता की राशि (ख) उद्देश्य जिसके लिए सहायता स्वीकृत की गई थी एवं (ग) निकाय/प्राधिकरण के कुल व्यय को इंगित करते हुए उन निकायों/प्राधिकरणों जिन्हें ₹ 10 लाख या अधिक के अनुदानों तथा/या ऋणों का भुगतान किया गया हो, कि एक विवरण लेखापरीक्षा कार्यालय को भेजेगा।

छत्तीसगढ़ के मात्र तीन¹ विभागों ने ही वर्ष 2014-15 की जानकारी प्रस्तुत की है। इस प्रकरण को अप्रैल 2015 एवं अगस्त 2015 में वित्त विभाग के संज्ञान में लाया गया था। अक्टूबर 2015 तक उत्तर प्रतिक्रिया था।

राज्य के वार्षिक लेखों वर्ष 2014-15 से एकत्रित जानकारी के आधार पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित किये गये 45 निकायों/संस्थानों में से 16 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा अक्टूबर 2015 तक विभिन्न अवधियों में की गई, जैसा कि परिशिष्ट 3.2 में दर्शाया गया है।

ऐसे निकायों/प्राधिकरणों को सरकार द्वारा दिये गए वित्तीय सहायता, प्रदत्त सहायता के उद्देश्य और कुल व्यय संबंधी सूचनाओं के प्रस्तुत न किये जाने के कारण विधानमंडल/सरकार को अनुदान के उपयोग के संबंध में जिसके लिए अनुदान स्वीकृत/भुगतान किया गया था, आश्वासन प्रदान करना संभव नहीं था। यह सरकारी व्यय पद्धति में नियंत्रण को कमजोर बनाता है।

3.2.2 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अधीन लेखापरीक्षा

राज्य सरकार द्वारा 47 स्वायत्त निकायों को विभिन्न क्षेत्र में जैसे की कृषि, कानून, आवास, ग्रामीण विकास, वन और व्यावसायिक इत्यादि में प्रतिस्थापित किया गया है। राज्य की 23 स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। 23 स्वायत्त निकायों में से 20 स्वायत्त

1. पुलिस आवास निगम लिमिटेड 2. मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) 3. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड।

निकाय जो कि सरकारी कंपनी एवं निगमों से संबंधित है, कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम 1971 की धारा 19 के अंतर्गत लेखा परीक्षण किया गया है और उनकी लेखापरीक्षा उनके लेनदेन, परिचालन गतिविधियों, वार्षिक खाता, प्रणालियों के नियामक/अनुपालन लेखापरीक्षा, आंतरिक प्रबंधन और वित्तीय नियंत्रण की समीक्षा, कार्य प्रणाली और प्रक्रियाओं की समीक्षा के आधार पर संपादन किया जाता है। सौंपे गये लेखापरीक्षा की स्थिति, लेखाओं का प्रतिपादन तथा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधायिका में प्रस्तुत करने की जानकारी **परिशिष्ट 3.3** में दिया गया है।

परिशिष्ट 3.3 में दर्शाये अनुसार आठ² प्रकरणों में लेखा प्रस्तुत करने में अनावश्यक विलंब हुआ एवं 14 प्रकरणों में एस.ए.आर. को विधान सभा के पटल में प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलंब हुआ जिसके परिणामस्वरूप स्वायत्त निकायें जहाँ सरकारी राशि निवेशित है के वित्तीय अनियमितताओं पर आवश्यक सुधारात्मक कारवाई शुरू करने एवं उस निकायों के कामकाज के जांच में देरी हो रही थी।

3.3 असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक देयक

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता (छ.को.सं.) के नियम 313 के अनुसार, प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रत्येक आकस्मिक देयक में चालू माह के प्रथम देयक में यह प्रमाणित करना होता है कि उनके द्वारा आहरित पूर्व माह के सभी संक्षिप्त देयकों के लिए विस्तृत देयकों को संबंधित नियंत्रण अधिकारी को प्रतिहस्ताक्षर कर महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को प्रेषित करने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के पूरक नियम 327 के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी को आगामी माह के पाँचवी तारीख के अंदर आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ मासिक विस्तृत आकस्मिक देयक को नियंत्रण अधिकारी के पास जमा करना चाहिए। नियंत्रण अधिकारी को महालेखाकार के पास पारित विस्तृत आकस्मिक देयक जमा करना चाहिए ताकि यह महालेखाकार कार्यालय में उसी महीने के 25 तारीख के अंदर प्राप्त हो जाए।

वर्षवार विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित देयकों के जमा करने में विलम्ब की जानकारी **तालिका 3.3** में दिया गया है।

तालिका 3.3 संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान आहरित ए.सी. देयक		वर्ष के दौरान जमा किए गए डी.सी. देयक		बकाया ए.सी. देयक	
	देयकों की संख्या	राशि	देयकों की संख्या	राशि	देयकों की संख्या	राशि	देयकों की संख्या	राशि
2013-14 तक	100	4.29	378	472.25	391	413.41	87	63.13
2014-15	87	63.13	412	733.31	479	717.06	20	79.37

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2014-15 तथा कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) द्वारा संग्रहित जानकारी)

कुल 20 संक्षिप्त आकस्मिक देयकों (₹ 79.37 करोड़) में से मुख्यतः सहकारिता (₹ 78.00 करोड़) एवं उद्योग (₹ 1.37 करोड़) से संबंधित है। वर्ष 2014-15 के ₹ 733.31 करोड़ के लंबित संक्षिप्त आकस्मिक देयकों में से ₹ 78.84 करोड़ (10.75 प्रतिशत) मार्च 2015 माह में ही निकाले गये। जिसमें से ₹ 53 करोड़ (67.22 प्रतिशत) को वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन निकाला गया। मार्च माह की संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरुद्ध व्यय मुख्यतः बजट का निकास एवं अनियमित बजट योजना को दर्शाता है।

² 1. छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, 2. छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं कृषि विकास निगम, 3. छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम मर्यादित, 4. छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विकास निगम मर्यादित, 5. छत्तीसगढ़ राज्य लोक आपूर्ति निगम मर्यादित, 6. छत्तीसगढ़ नगर निगम परिवहन मर्यादित, 7. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल 8. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक प्राधिकरण, बिलासपुर

3.4 हानि तथा गबन के प्रकरणों का प्रतिवेदन

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-1 के नियम 22 एवं 23 में प्रावधान है कि लोक धन के हानि, गबन एवं दुर्विनियोजन के प्रत्येक प्रकरण महालेखाकार को प्रतिवेदित किये जाने चाहिए। संहिता के नियम 24 में प्रावधान है कि अचल संपत्ति जैसे भवन, सड़क एवं पुलिया की अग्नि, बाढ़, तूफान, भूकंप अथवा अन्य प्राकृतिक कारणों से हुई हानि को भी महालेखाकार को प्रतिवेदित की जानी चाहिए। इसके अनुसरण में विभागों को विस्तृत जाँच करके हानि के कारणों तथा पुनरावृत्ति रोकने के उपायों/कार्यवाही से अवगत कराना चाहिए।

राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा प्रतिवेदित 2,263 लंबित प्रकरणों में ₹ 109.21 करोड़ शासकीय धन का मार्च 2015 के अंत तक निर्णयात्मक जाँच एवं निपटारा अपेक्षित था। ऐसे लंबित प्रकरणों की विभागवार तथा श्रेणीवार स्थिति **परिशिष्ट 3.4** में दर्शायी गयी है। प्रकरणों का वर्षवार विश्लेषण **परिशिष्ट 3.5** में दर्शाया गया है। लंबित प्रकरणों की अवधिवार स्थिति एवं प्रत्येक श्रेणी जैसे चोरी एवं हानि के लंबित प्रकरण को **तालिका 3.4** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.4 हानियों एवं गबनों आदि की स्थिति

लंबित प्रकरणों की अवधि (₹ लाख में)			लंबित प्रकरणों की प्रकृति (₹ लाख में)		
श्रेणी (वर्षों में)	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरण की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	राशि
0 - 5	651	8645.82	चोरी	122	52.82
5 - 10	394	1173.72	संपत्ति/सामग्रियों की हानि	2081	10778.66
10 - 15	278	399.46	गबन	60	89.86
15 - 20	250	447.98	कुल लंबित प्रकरण	2263	10921.34
20 - 25	228	156.21			
25 एवं उससे अधिक	462	98.15			
योग	2263	10921.34			

(स्रोत: राज्य शासन के विभागों द्वारा प्रेषित प्रकरण)

आगे विश्लेषण दर्शाता है कि जिन कारणों से प्रकरण लंबित है उनको **तालिका 3.5** में पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

तालिका 3.5 हानि एवं गबन आदि के प्रकरणों के लंबित रहने के कारण

सं क्र.	प्रकरण विलम्ब/लंबित होने के कारण	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1	विभागीय एवं फौजदारी अनुसंधान की अपेक्षा में लंबित	3	3.14
2	विभागीय कार्यवाही प्रारंभ लेकिन अंतिम तौर पर निर्णित नहीं	721	1849.06
3	फौजदारी कार्यवाही निर्णित लेकिन राशि की वसूली संबंधी कार्यवाही लंबित	1	0.01
4	वसूली/अपलेखन के आदेश अपेक्षित	1489	8987.09
5	न्यायालय में प्रकरण लंबित	49	82.04
	योग	2263	10921.34

(स्रोत: राज्य शासन के विभागों द्वारा प्रतिवेदित प्रकरण)

उपरोक्त तालिका यह दर्शाता है कि 2,263 लंबित प्रकरणों में 1,489 प्रकरण (65 प्रतिशत) जिसका मूल्य ₹ 8987.09 लाख था, विभागों/शासन द्वारा वसूली अथवा अपलेखन आदेश न जारी किए जाने के फलस्वरूप लंबित था। यह इंगित करता है कि

विभागों/शासन के द्वारा विलंब से कार्यवाही के परिणामस्वरूप शासकीय धन की वसूली या प्रकरणों का निराकरण नहीं हो पाया।

इसके अलावा ₹ 1849.06 लाख की 721 प्रकरणों में विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई थी जो 31 मार्च 2015 तक पूर्ण नहीं हो पाया।

विभिन्न विभागों के 43³ प्रकरणों से संबंधित कुल मूल्य ₹ 12.44 लाख वसूली कर वर्ष 2014-15 शासकीय खातों में जमा किया गया। संपूर्ण जानकारी **परिशिष्ट 3.6** में दर्शायी गई है।

3.5 लघु शीर्ष "800-अन्य प्राप्तियाँ" एवं "800-अन्य व्यय" के अंतर्गत समायोजन

चूंकि सरकार की अधिकांश गतिविधि संघ तथा राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची, जो की महालेखानियंत्रक द्वारा पारित है, में उल्लेखित है, बजट नियंत्रक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लघु शीर्ष "800-अन्य प्राप्तियों/अन्य व्यय" का निष्पादन कम से कम हो। वर्ष 2014-15 के वित्त लेखे की जाँच में पाया गया कि मुख्य शीर्षों में प्रमाणित ₹ 876.56 करोड़, जो कि पूर्ण व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत) का 1.90 प्रतिशत है, को लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" में वर्गीकृत किया गया है।

यह भी देखा गया है कि वित्त लेखे (राजस्व एवं पूंजीगत) के सात मुख्य शीर्षों⁴ में ₹ 802.91 करोड़, जो कि कुल व्यय (₹ 1213.70 करोड़) का 66 प्रतिशत है, को लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय में वर्गीकृत किया गया था। यह व्यय संबंधित मुख्य शीर्षों के कुल व्यय का 40 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक है जैसा कि **परिशिष्ट 3.7** में उल्लेखित है।

इसी तरह, राजस्व प्राप्तियों का ₹ 3005.92 करोड़, जो कि मुख्य शीर्षों की कुल राजस्व प्राप्ति (₹ 37988.01 करोड़) का 7.91 प्रतिशत है, को लघु शीर्ष "800-अन्य प्राप्तियों" में वर्गीकृत किया गया है। 21 मुख्य शीर्षों में कुल राजस्व प्राप्तियों ₹ 1008.95 करोड़ में से ₹ 785.48 करोड़ (77.85 प्रतिशत) को लघु शीर्ष "800-अन्य प्राप्तियों" में वर्गीकृत किया गया। लघु शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियाँ, संबंधित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल राजस्व प्राप्तियों की 45 से 176 प्रतिशत के बीच रही। विवरण **परिशिष्ट 3.8** में दर्शाया गया है।

केन्द्र एवं राज्य के मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची के सामान्य दिशा निर्देशों के कंडिका 3.1 के अनुसार, मुख्य/उप मुख्य शीर्ष के अंतर्गत स्थानीय निकायों और नगर पालिका/नगर निगमों को सहायता के लिए लघु शीर्ष-"191" खोला जा सकता है भले ही यह विशेष रूप से किताब में विहित न हो।

जांच के दौरान में यह पाया गया कि पंचायत को सहायता अनुदान की प्रदत्त व्यय राशि, ₹ 177.8 करोड़ (40.44 प्रतिशत), को मुख्य शीर्ष 2853 के लघु शीर्ष 800 के "अन्य व्यय" में दर्ज किया गया। इसे मुख्य/लघु शीर्ष की सूची में उल्लेख के अनुसार लघु शीर्ष 191 में दर्ज किया जाना था। इस मामले में लघु शीर्ष 800 में इसका दर्ज होना अनियमित था।

मुख्य शीर्ष 4700-मुख्य सिंचाई के पूंजीगत परिव्यय एवं 4701-मध्यम सिंचाई के पूंजीगत परिव्यय, निर्माण कार्य जैसे सेतु एवं संबंधित कार्य जो कि क्रमशः

³ वन 21 प्रकरण (₹ 6.57 लाख), पुलिस 18 प्रकरण (₹ 1.18 लाख), स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं एक प्रकरण (₹ 6.57 लाख) तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक प्रकरण (₹ 1.37 लाख)

⁴ 1. सामान्य विविध सेवाओं, 2. अलौह खनन एवं धातु विज्ञान उद्योग 3. अन्य संचार सेवाओं 4. मुख्य सिंचाई 5. मध्यम सिंचाई 6. उर्जा परियोजना पर पूंजीगत व्यय 7. विविध सामान्य सेवाओं के लिए ऋण

₹ 366.04 करोड़ एवं ₹ 14.20 करोड़ था, को लघु शीर्ष 800 में दर्ज किया गया। यह लघु शीर्ष-051-निर्माण में दर्ज किया जाना चाहिए था।

इसके अतिरिक्त मुख्य शीर्ष 3275-अन्य संचार सेवायें जैसे लैपटॉप/टैबलेट, स्वान परियोजना, डिजिटल शासन, ई-जिला परियोजना, वाई-फाई शहर परियोजना इत्यादि पर ₹ 76.41 करोड़ (100 प्रतिशत) व्यय को लघु शीर्ष 101 या 102 के बजाय लघु शीर्ष 800 में दर्ज किया गया, जो कि अनियमित था।

लघु शीर्ष "800-अन्य प्राप्तियाँ" एवं "800-अन्य व्यय" में दर्ज की गई अधिक मात्रा की राशि, वित्त प्रतिवेदन की पारदर्शिता को प्रभावित करती है क्योंकि यह लेखे में शासन के विभिन्न गतिविधियों का अलग-अलग जानकारी इंगित करने में विफल रहती है।

3.6 राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का वर्गीकरण

भारतीय लेखा नियम 1990 में नियम 30 एवं सी.जी.एफ.सी. के पारा 324 में उल्लेखित है कि किस तरह समेकित निधि के व्यय को राजस्व या पूंजीगत व्यय में वर्गीकृत करना है।

1. पूंजीगत व्यय के संबंध में मोटे तौर पर परिभाषित है कि ऐसा खर्च जो ठोस एवं स्थायी परिसंपत्ति को बढ़ाने के लिए हो उसे पूंजीगत अनुभाग में वर्गीकृत किया जाएगा। अस्थायी संपत्ति पर व्यय अथवा स्थानीय निकायों अथवा संस्थाओं को सहायता अनुदान पर व्यय जो की उस निकाय या संस्था की संपत्ति बनाने के लिए किया गया हो उसको आम तौर पर पूंजीगत व्यय में वर्गीकृत नहीं किया जाता है और विशेष रूप से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत मामलों को छोड़कर पूंजीगत खाते में डेबिट नहीं किया जाएगा।
2. बजट आँकलन एवं शासकीय लेखे दोनों में पूंजीगत व्यय को राजस्व व्यय से अलग रखा जाएगा।
3. अस्थायी संपत्ति पर व्यय को आमतौर पर पूंजीगत व्यय प्रकृति के रूप में नहीं माना जा सकता।
4. पूंजीगत और राजस्व खातों के बीच एक पूंजीगत योजना पर होने वाले खर्च के आवंटन का मुख्य सिद्धांत है:- (अ) पूंजीगत खाते को प्रथम निर्माण और उपकरण के खर्च तथा प्रोजेक्ट चालू होने से पहले का रख-रखाव को वहन करना चाहिए। यह आगे का परिवर्धन और सुधार का खर्च भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए नियम के तहत वहन करना चाहिए। (ब) प्रोजेक्ट खोलने के बाद का रख-रखाव तथा सभी काम कर रहे खर्च को राजस्व खाता ही वहन करेगा। परियोजना के काम करने और रखरखाव पर सभी व्यय तथा सरकार द्वारा निर्धारित नवीनीकरण और प्रतिस्थापना इसके अलावा सुधार या विस्तार पर खर्च को भी वहन करेगा।

वर्ष 2014-15 में छत्तीसगढ़ शासन ने गलत तरीकों से "वृहद कार्य" पर ₹ 109.99 करोड़ का खर्च तथा बजट आंकलन राजस्व खाते में किया था जबकि उसको पूंजीगत खाते से किया जाना चाहिए। विस्तृत परिशिष्ट 3.9 में दर्शाया गया है। इसके फलस्वरूप ₹ 109.99 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ। इस तरह सरकार अनुदान राशि जो कि परिसंपत्ति निर्माण के लिए था, ₹ 1016.66 करोड़ (परिशिष्ट 3.10) का बजट आंकलन में, उसके समावेशन के पूंजीगत मुख्य शीर्ष में किया जबकि इसको राजस्व शीर्ष में करना चाहिए था। गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व घाटे पर शुद्ध प्रभाव ₹ 906.67 करोड़ का पड़ा।

वर्ष 2014-15 में छत्तीसगढ़ शासन के स्वीकृति आदेश की जांच के दौरान यह पाया गया कि कुछ कार्य जिसके लिए स्वीकृति आदेश दिया गया था, वे राजस्व स्वभाव के थे और उनको पूंजीगत विभाग में लिया गया एवं राजस्व विभाग में पूंजीगत कार्य को

लिया गया। कुछ प्रकरणों में स्वीकृति आदेश दिये गये जिसमें क्रमशः बजट प्रावधान नहीं था। यह शासन वित्तीय नियमों का उल्लंघन था एवं यह अनियमित था। जानकारी परिशिष्ट 3.11 में दी गई है।

3.7 व्यक्तिगत जमा खाते की जांच

3.7.1 परिचय

व्यक्तिगत जमा (पीडी) खाते एक जमा खाता है जो प्रशासकों के नाम से कोषालय में रखा जाता है। धन को 8443-सिविल जमा-106-व्यक्तिगत जमा के तहत रखा जाता है। ये खाते वित्त विभाग के अनुमोदन से खोले जा सकते हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार महालेखाकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम-543 एवं 584 से 590 में पीडी खातों के रखरखाव के लिए किए गए प्रावधानों के संदर्भ में, पीडी खाते राज्य की संचित निधि को आंकलित कर खोले जाते हैं। वित्तीय वर्ष के अंत में सुसंगत सेवा शीर्ष में ऋण विकलन द्वारा बन्द किया जाना चाहिए।

पीडी खाते जो लगातार तीन वर्ष से अप्रचलित हैं प्रशासक को कोषालय अधिकारी द्वारा नोटिस भेजकर खाता बंद कर देना चाहिए तथा पीडी खाते की शेष राशि को शासकीय खाते में राजस्व निक्षेप में जमा करने की कार्यवाही किया जाना चाहिए। कोषालय लेखे के साथ पीडी खाते के आवर्ती समाधान का उत्तरदायित्व संबंधित प्रशासक का है। सहायक नियम-558 के अनुसार धन-ऋण ज्ञापन जिसमें पीडी खाते का प्रारंभिक शेष, प्राप्ति, भुगतान तथा अंतशेष का विवरण हो को प्रत्येक माह महालेखाकार को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

3.7.2 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

जमाओं की लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिये है कि:

- संचित निधि से निधियों को अनावश्यक रूप से व्यपवर्तन नहीं किया गया है, जमा, जिससे की बजटीय नियंत्रण के बुनियादी अनुशासन प्रभावित होता है;
- जमा खाते की जब आवश्यकता हो तब ही खोला गया तथा निर्धारित नियमों और विनियमों को सख्ती से पालन करना चाहिए; तथा
- जमा करना, से आहरण करना तथा निक्षेप खाते का समापन से संबंधित अनिवार्य दस्तावेज है तथा नियमों तथा विनियमों का अनिवार्य रूप से पुष्टि किया गया है।

3.7.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा प्रणाली

पीडी खाते की लेखापरीक्षा जून तथा जुलाई 2015 के दौरान आयोजित किया गया था तथा 2010-11 से 2014-15 की समयावधि को शामिल किया गया। 31 मार्च 2015 की स्थिति में अंतशेष के आधार पर 28 कोषालयों में से सात⁵ कोषालयों का चयन किया गया। हमने, संचालनालय, कोष एवं पेंशन तथा कोषालयों के अभिलेखों का भी नमूना जांच किया गया। लेखापरीक्षा के क्षेत्र एवं प्रणाली पर चर्चा सचिव, वित्त विभाग के साथ प्रवेश सभा (जून 2015) किया गया।

लेखापरीक्षा मापदण्ड छत्तीसगढ़ राज्य वित्त/कोषालय संहिता, धन-ऋण ज्ञापन से प्राप्त हुआ, लेखापरीक्षा के लिए व्यक्तिगत जमा खाता खोलने के लिए अधिकार तथा विभिन्न आदेश, अधिसूचनाएं, परिपत्रों, निर्देश वित्त विभाग एवं राज्य शासन के अन्य विभागों द्वारा जारी किया गया।

⁵ जिला कोषालय रायपुर, राजनांदगांव, अम्बिकापुर, जशपुर, रायगढ़, जांजगीर-चांपा एवं बिलासपुर

3.7.4 2010-15 के दौरान व्यक्तिगत जमा खाते का विवरण

अवधि 2010-15 के दौरान राज्य में संचालित पीडी खाते का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया:

तालिका 3.6: पीडी खाते का विवरण

वर्ष	एक अप्रैल की स्थिति में खाते की संख्या	वर्ष के दौरान खोली गई	वर्ष के दौरान बंद की गई	31 मार्च की स्थिति में खाते की संख्या
2010-11	148	05	0	153
2011-12	153	0	10	143
2012-13	143	01	07	137
2013-14	137	209	24	322
2014-15	322	37	135	224
योग		252	176	

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

अवधि 2010-11 से 2014-15 के दौरान 252 पीडी खाते खोले गये तथा 176 बंद किये गये। 31 मार्च 2015 की स्थिति में 224 पीडी खाते प्रचलन में थे।

वर्ष 2013-14 के दौरान, सबसे अधिक 209 पीडी खाते खोले गए जिसमें ₹ 722.39 करोड़ सम्मिलित थे, जो मुख्य रूप से योजना तथा वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जारी किये गये निर्देश (मार्च एवं जुलाई 2014) का परिपालन था। इन निर्देशों के अनुसार ऐसी राज्य पोषित योजनाएं जिसमें आगामी वर्ष 2014-15 के बजट में राशि उपलब्ध नहीं थी तथा ऐसी केन्द्रीय योजनाएं जिनकी राशि राज्य के बजट से प्राप्त हुई थी तथा जिसके लिए तत्काल व्यय किया जाना था, ऐसी स्थितियों में यदि कुछ राशि पहले ही आहरित कर ली गई शेष के रूप में बच गई, उसे पीडी खाते में जमा कर जुलाई 2014 तक व्यय करना था। अनुपयोगी अवशेषों को शासकीय खाता में जमा करना था।

चयनित सात कोषालयों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि सात प्रशासकों ने विभिन्न योजना निधियों जैसे कि स्थानीय निर्वाचन निधि, निर्माण कार्य निधि, आंगनबाड़ी केन्द्रों की विद्युतीकरण निधि इत्यादि से ₹ 11.99 करोड़ आहरित किये तथा चालू खाते में जमा किये। इस राशि को बाद में ऊपर उद्धृत आदेशों के अनुसार पीडी खाते में जमा किया गया।

प्रावधानों के अनुसार, पीडी खाते जो राज्य की संचित निधि को आंकलित कर खोला गया हो उसे वित्तीय वर्ष के अंत में संबंधित सेवा शीर्षों के ऋण विकलन से बंद कर देना चाहिये। आगे, संचित निधि से आहरित करना तथा उसे निक्षेप में रखना राजस्व/राजकोषीय घाटे तथा संबंधित वर्षों में लोक लेखे में दायित्वों के अतिशयोक्ति की ओर ले गया। इस तरह से, पीडी खातों में धन रखने एवं व्यय को अंतिम शीर्ष में दर्ज करना एवं अगले वित्त वर्ष में उपयोग करने से अत्यधिक अनियमित एवं संसदीय वित्तीय नियंत्रण का मिश्रण था।

जैसा कि पीडी खातों को वित्तीय वर्षों के अंत में बंद किया जाना था, कुल धनराशि ₹ 1,630.82 करोड़ (संबंधित कंडिका में चर्चा किया गया) को पीडी खातों में वित्तीय वर्ष के अंत के बाद भी रखना अनियमित था।

शासन को निधियों के अनावश्यक संचय से बचने के लिये वित्तीय वर्ष के अंत में पीडी खातों को बंद करने हेतु प्रावधानों को सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

3.7.5 व्यक्तिगत जमा खातों में रखी गई निधियां

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम-543, के अनुसार जिन पीडी खातों को राज्य की संचित निधि को आंकलित कर बनाया गया हो उसे वित्तीय वर्ष के अंत में सुसंगत सेवा शीर्षों में ऋण विकलन द्वारा बंद कर दिया जाना चाहिए। अवधि 2010-15 के दौरान पीडी खातों में लेन-देन का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 3.7: राज्य के पीडी खाते की शेष का वर्षवार विवरण (₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	जमा	वितरण	अंतशेष
2010-11	497.60	590.36	591.61	496.34
2011-12	496.34	669.96	437.08	729.22
2012-13	729.22	224.76	348.19	605.79
2013-14	605.79	1,388.51	328.68	1,665.62
2014-15	1,665.62	640.52	675.32	1,630.82

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका यह इंगित करता है कि पीडी खातों का अंतशेष वर्ष 2010-11 में ₹ 496.34 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014-15 में ₹ 1,630.82 करोड़ हो गया। 31 मार्च 2015 की स्थिति में पीडी खाते प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रशासकों से संबंधित है:

तालिका 3.8: 31 मार्च 2015 की स्थिति में पीडी खाते में अंतशेष के साथ प्रशासकों के नाम

क्र.सं.	प्रशासकों	राशि (₹ करोड़ में)
1	भू-अर्जन अधिकारियों (कलेक्टरों, उपसंभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों)	1,259.43
2	सहायक आयुक्तों, आदिवासी विकास	107.34
3	पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर	86.59
4	संभागीय वन अधिकारियों	64.23
5	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर	35.00
6	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं-1, रायगढ़	15.02
7	अधीक्षक जेल	13.28
8	कलेक्टर (खाद्य), खाद्य अधिकारी	8.91

(स्रोत: माह मार्च 2015 के धन ऋण ज्ञापन)

बकाया शेष मुख्य रूप से भू-अधिग्रहण मुआवजा, आश्रमों एवं छात्रावास का निर्माण कार्य, प्रोसेसिंग फीस, दोहन की पंजीयन शुल्क, परिवहन, पेड़ कटाई, सीमांकन, मुनारा का निर्माण, 13वें वित्त आयोग के अनुदान के अंतर्गत नया रायपुर विकास प्राधिकरण की भवन निर्माण, कैदी के मजदूरी को पीड़ित परिवार को देना तथा खाद्य सुरक्षा निधि आदि।

वर्षों से जमा खाते में शेष बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाता है एवं शेष राशि को वापस करने के लिए प्रावधानों का पालन करने के लिए कार्यवाही करना आवश्यक था।

3.7.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.7.6.1 वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशों का पालन न करना

वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशों (मार्च एवं जुलाई 2014) के अनुसार, पीडी खातों में रखी राशि का उपयोग जुलाई 2014 के अंत तक किया जाना था तथा अनुपयोगी राशि यदि हो तो शासकीय खाते में स्थानांतरित किया जाना था।

चयनित सात⁶ कोषालयों के अभिलेखों की नमूना जांच के बाद अग्रलिखित अनियमितताएं पायी गयी:

⁶ रायपुर, राजनांदगांव, अम्बिकापुर, जशपुर, रायगढ़, जांजगीर-चांपा एवं बिलासपुर

(क) पांच कोषालयों⁷ में, 59 नये पीडी खाते खोले गए तथा राशि ₹ 174.98 करोड़ पीडी खाते में जमा हुआ (मार्च 2014) था। इसमें से, राशि ₹ 137.30 करोड़ वितरित किया गया एवं शेष ₹ 37.68 करोड़ का उपयोग नहीं हुआ (परिशिष्ट 3.12) एवं नियमों का उल्लंघन करते हुए 14 पीडी खाते में मार्च 2015 तक पड़े थे।

लेखापरीक्षा की समीक्षा के प्रतिक्रिया में कोषालय अधिकारियों (टीओ) ने बताया (मई-जून 2015) कि पीडी खाते की अनुपयोगी राशि शासकीय खाते में जमा न करने के संबंध में संबंधित प्रशासकों से जानकारी प्राप्त कर प्रेषित की जाएगी।

(ख) जिला कोषालय, रायगढ़ कें पांच पीडी खातों की राशि ₹ 4.30 लाख (परिशिष्ट 3.13) निर्धारित समय सीमा जुलाई 2014 तक अनुपयोगी थे। यह देखा गया कि निधियों का जुलाई 2014 के पूर्व व्यय नहीं हुआ, परंतु अगस्त 2014 से नवम्बर 2014 के दौरान किया गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति का उत्तर अपेक्षित (अक्टूबर 2015) था।

(ग) वर्ष 2014-15 के दौरान, पीडी खाते जो वर्ष 2013-14 के दौरान जिला कोषालय, रायगढ़ एवं जशपुर में खोले गये थे, मार्च 2015 तक राशि ₹ 30.08 करोड़ (परिशिष्ट 3.14) जमा की गयी थी। पीडी खाते को संचालित करने के लिए वित्त विभाग की अनुमति केवल वर्ष 2013-14 के लिए थी। इस प्रकार, पीडी खाते में किया गया जमा अनियमित था।

इसे इंगित किये जाने पर, कोषालय अधिकारियों द्वारा बताया गया कि वर्ष 2013-14 के दौरान वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुपालन में राशि जमा की गई। हालांकि आगामी वर्षों के लिए पीडी खातों को निरंतर रखने के लिए कोई विशेष निर्देश नहीं था।

3.7.6.2 वित्त विभाग के बिना अनुमति के पीडी खाते खोला जाना

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम 536 के अनुसार, कोई धन प्राप्ति लोक लेखा में जमा नहीं करना चाहिए जब तक कि वे किसी वैधानिक प्रावधान या किसी भी सामान्य या शासन के विशेष आदेशों, आवश्यकता या शासन के अधीन प्राधिकृत होना चाहिए।

जिला कोषालय, जशपुर के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि दो पीडी खाते क्रमशः जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) एवं जिला शिक्षा अधिकारी के नाम से खोले गये थे तथा वित्त विभाग की अनुमति के बिना राशि ₹ 19.99 लाख एवं ₹ 37.52 लाख माह मार्च 2015 में जमा किये गये थे।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में कोषालय अधिकारी, जशपुर द्वारा बताया गया कि वित्त विभाग के आदेश दिनांक 22 मार्च 2014 के अनुपालन में पीडी खाते खोले गए थे, और यह भी बताया गया कि आगामी वर्षों में पीडी खाते खोलने के लिए इसके अलावा कोई निर्देश उपलब्ध नहीं था।

कोषालय अधिकारी द्वारा स्वतः स्पष्ट था कि कोई निर्देशों या आदेशों आगामी वर्षों के निरंतर पीडी खाते के लिए उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार, वर्ष 2013-14 के बाद पीडी खाते वित्त विभाग की अनुमति के बिना खाते खोलना अनियमित था।

शासन यह सुनिश्चित करे कि वित्त विभाग की परामर्श और अनुशासनपूर्वक नियमों के प्रावधानों के अनुसार अनुशासनपूर्वक पीडी खाते खोले जाये।

⁷ रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ अम्बिकापुर एवं जशपुर

3.7.6.3 अप्रचलित पीडी खाते की राशि ₹ 22.63 करोड़ राजस्व जमा निधियों में स्थानांतरण नहीं किया जाना

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम 543 के अनुसार, अगर पीडी खाता लगातार तीन वर्ष की अवधि तक अप्रचलित रहता है तो, कोषालय अधिकारी द्वारा एक माह के अंदर कारण बताओ पत्र प्रेषित कर लेखा प्रशासक को राजस्व जमा की खाता शेष को जमा न करने के कारणों से अवगत कराना चाहिए। यदि प्रशासक, एक माह के अंदर पत्र का उत्तर देने में विफल रहता है या पीडी खाते को जारी रहने के औचित्य में विफल रहता है, कोषालय अधिकारी की संतुष्टि के लिए, मांग पत्र महालेखाकार को भेजकर लेखा शेष के संबंध में सत्यापन के लिए एवं शेष की मिलान महालेखाकार के खाते से मिलान करने के बाद राजस्व जमा में जमा किया जाना चाहिए। इसके बाद, ये सामान्य राजस्व जमा मद के रूप में कार्यवाही की जाएगी।

सात जिला कोषालयों के पीडी खातों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, हम पांच⁸ कोषालयों के अवलोकन में, 14 अप्रचलित पीडी खाते ₹ 22.63 करोड़ (परिशिष्ट 3.15) सम्मिलित थे जो मार्च 2015 तक बंद नहीं किये गये एवं पीडी खाते में पांच वर्ष से अधिक अवशेष पड़े थे।

इंगित किये जाने पर, कोषालय अधिकारियों (अगस्त 2015) द्वारा कहा गया कि प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

अप्रचलित पीडी खाते की अवशेष राशि को शासकीय खाते में जमा करने के लिए जरूरी कदम शासन द्वारा उठाना चाहिए।

3.7.6.4 राशि ₹ 64.32 करोड़ निधियों का गलत वर्गीकरण

वित्त मंत्रालय एवं भारत सरकार के साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श लेखा शीर्षों को संघ और राज्यों के महालेखा नियंत्रक (सीजीए) द्वारा विहित है। लेनदेन का वर्गीकरण शासकीय खातों में सही लेखा शीर्षों की सूची संघ एवं राज्यों के मुख्य एवं लघु शीर्ष के अनुसार करना चाहिए। मुख्य एवं लघु शीर्ष के अनुसार, वन जमा एवं शिक्षा संस्थाओं की जमा मुख्य शीर्ष—8443 सिविल जमा—109 वन जमा एवं 123—शैक्षणिक संस्थानों के अंतर्गत क्रमशः दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा जारी किये गये निर्देश 2005 में प्रधान वन संरक्षक छत्तीसगढ़ को वन जमा सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा करने हेतु निर्देश दिया गया था।

सभी 28 कोषालयों की धन-ऋण ज्ञापन की जांच में पता चला कि 109—वन जमा एवं 123—शैक्षणिक संस्थानों की जमा में जमा होना था, परंतु इसके बदले राशि ₹ 64.23 करोड़ वन जमा तथा राशि ₹ 0.09 करोड़ शैक्षणिक संस्थानों की जमा की राशि मुख्य शीर्ष—8443—सिविल जमा—106—व्यक्तिगत जमा खाता में जमा है जो कि अनियमित था।

लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किये जाने पर, संचालक, कोष एवं पेंशन द्वारा कोई उत्तर प्रेषित नहीं किया गया था।

3.7.6.5 शेषों का पुनर्मिलान न करना

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग—1 के सहायक नियम 590 के अनुसार, प्रशासक से प्रत्येक व्यक्तिगत खाता बही शेष का वार्षिक प्रमाण पत्र महालेखाकार को प्रस्तुत करना चाहिए। यदि कोई अंतर हो तो उसका शेष मार्च माह के धन-ऋण ज्ञापन में विस्तार से दिखाया जाना चाहिए।

⁸ जिला कोषालयों रायपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, जांजगीर—चांपा एवं बिलासपुर

सभी सात चयनित कोषालयों के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह देखा गया कि पीडी खाते का वार्षिक समाशोधन नियमित रूप से कोषालयों के साथ संबंधित प्रशासकों द्वारा प्रशासक के खाते से नहीं किया जा रहा है। पीडी खातों के समाशोधन न होने के कारण, कार्यालय जिला कोषालय अधिकारी, (डीटीओ) बिलासपुर, अम्बिकापुर, जांजगीर-चांपा (परिशिष्ट 3.16) में देखा है कि प्रशासकों के पीडी खातों के रोकड़ पंजी एवं कोषालयों के खाते के बीच अंतर होना पाया गया। इसके कारण, वास्तविक आंकड़ों के पीडी खातों के शेषों को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

इसे इंगित किए जाने पर, कोषालय अधिकारियों ने बताया कि (अगस्त 2015) पीडी खाते का नियमित समाशोधन प्रशासकों के खाते के साथ कोषालय से कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

शासन द्वारा पीडी खाते के अंतर को सुधारने के लिए कोषालय और प्रशासकों के बीच नियमित रूप से समाशोधन हेतु निर्देश जारी करना चाहिए।

3.7.6.6 खाद्य सुरक्षा कोष से प्राप्त निधि का उपयोग न करना

अधिसूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण 23 दिसम्बर, 2004 को छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2004 प्रारंभ किया था। इस आदेश के कंडिका 17 के अनुपालन में खाद्य सुरक्षा कोष⁹ का बनाया गया था। इस कोष का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि असुरक्षित जनता के लिए खाद्य सुरक्षा को मजबूत एवं उच्च कुपोषण वाले क्षेत्रों एवं भुखमरी के संभावित क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा की निधि उपयोग सुनिश्चित करना, राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना, समय-समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित जारी किये गये निर्देशों के पालन के लिए आवश्यक कार्यवाही करना तथा समय-समय पर राज्य की खाद्य सुरक्षा संबंधित अन्य आवश्यकताओं को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक ऐसी अन्य कार्यवाही करना जैसा कि अपेक्षित हो।

खाद्य विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण खाद्य सुरक्षा कोष को पीडी खातों में पृथक से कोषालय में जमा किया जाना था।

धन-ऋण ज्ञापन में देखा गया कि सात चयनित कोषालयों में से चार¹⁰ कोषालयों में खाद्य सुरक्षा निधि ₹ 5.83 करोड़ पीडी खाते में जमा था, लेकिन मार्च 2015 की स्थिति में पांच से सात वर्ष तक अप्रयुक्त बनी हुई थी।

इस प्रकार, निधि का उपयोग खाद्य सुरक्षा कोष की स्थापना और अन्य उपयोगी निधि पीडी खाते में रखना निष्फल था।

⁹ कोष का प्राथमिक उद्देश्य कमजोर जनसंख्या हेतु खाद्य सुरक्षा का सुदृढ़ करना है तथा कोष का उपयोग उच्च कुपोषण वाले क्षेत्रों एवं भुखमरी के संभावित क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराना था।

¹⁰ जिला कोषालयों रायपुर, राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा एवं बिलासपुर

3.8 लोक निर्माण निक्षेप के अंतर्गत व्यपगत निक्षेप को शासन के खाते में जमा न करना

3.8.1 प्रस्तावना

केंद्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता (सी.पी.डब्ल्यू.ए.सी) के अनुसार, निक्षेप में लेन-देन शामिल है जो लोक निर्माण निक्षेप के माध्यम से कार्य करता है जैसे प्रतिभूति रूप में अधीनस्थ कर्मचारियों की रोकड़ निक्षेप, प्रतिभूति रूप में ठेकेदारों की रोकड़ निक्षेप, तकावी निर्माण कार्यों के अलावा किए गए अन्य कार्यों की निक्षेप, बन्द लेखाओं पर ठेकेदारों को देय राशि एवं विविध निक्षेप। प्रत्येक वर्ष मार्च माह के लेखाओं में लोक निर्माण जमा की समाप्ति पर लोक निर्माण लेखाओं में निम्न वर्गों के मदों में निक्षेप लेखा में निम्नलिखित श्रेणियों की मदें शासन के राजस्व को व्यपगत निक्षेप के रूप में जमा किये जाते हैं :

- पच्चीस रुपये ऐसे मूल निक्षेप की राशि जो एक सम्पूर्ण लेखा वर्ष तक बिना भुगतान हुए रहती है, वर्ष का लेखा बन्द करते समय किसी निक्षेप मद का आंशिक रूप से समाशोधन के पश्चात् 25 रुपये तक का अवशेष ।
- और उपरोक्त वर्णित राशि से अधिक की स्थिति में सभी निक्षेप अथवा ऐसे अवशेष जो तीन लेखा वर्षों से अधिक समय से भुगतान न होने के कारण शेष हो।

3.8.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

जमाओं की लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि:-

- प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की समाप्ति पर जमा को शासन के लेखे में स्थानांतरित किया जाना है तथा
- इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है कि जमा राशि जो उपरोक्त वर्णित अवधियों के लिए बिना दावे की रह गई, उन्हें सरकार के राजस्व शीर्ष में राजस्व प्राप्ति के रूप में समायोजित कर दिया गया है।

3.8.3 लेखापरीक्षा का विस्तार और प्रणाली

“लोक निर्माण निक्षेप” के अंतर्गत “शासन के खाते में व्यपगत निक्षेप” को सरकारी खाते में जमा न करने के संबंध में लेखापरीक्षा जून 2015 से सितंबर 2015 तक अवधि 2010 से 2015 तक के दौरान किया गया। लोक निर्माण विभाग(पी.डब्ल्यू.डी), जल संसाधन विभाग(डब्ल्यू.आर.डी) और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभागों (पी.एच.ई.डी) के कुल 149 संभागों में से 33 संभागों (13-पी.डब्ल्यू.डी, 10-डब्ल्यू.आर.डी एवं 10-पी.एच.ई.डी) का चयन मार्च 2015 के प्रपत्र-79 के अंतर्शेष के आधार पर किया गया।

लेखापरीक्षा का मानदंड छत्तीसगढ़ राज्य वित्त/कोषागार संहिता, केंद्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता, जमा पंजी, संभागों के प्रपत्र-79¹¹ और विभिन्न आदेशों, सूचनाओं, परिपत्रों एवं वित्त विभाग और राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा जारी किए गए निर्देशों से निर्धारित की गई।

¹¹ प्रपत्र-79 (फॉर्म-79) दो भागों में होता है, भाग-एक -लेखा जिसमें प्रत्येक वर्ग की जमाराशि का सकल योग रहता है। भाग-दो: - जमा पंजी का विस्तृत सार। भाग दो में केवल वही मद शामिल रहते हैं जो मासिक लेन-देन से प्रभावित होते हैं।

3.8.4 लोक निर्माण निक्षेप में 2010-15 के दौरान रखी गई निधि

लोक निर्माण निक्षेपों में अवधि वर्ष 2010-15 के लिए संव्यवहारों का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 3.9: लोक निर्माण निक्षेप में रखी गयी निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	1 अप्रैल की स्थिति में प्रारंभिक शेष	प्राप्तियाँ	वितरण	31 मार्च की स्थिति में अंतशेष
2010-11	1,073.48	1,084.59	929.90	1,228.17
2011-12	1,228.17	1,645.60	1,319.74	1,554.03
2012-13	1,554.03	1,512.80	1,445.37	1,621.46
2013-14	1,621.46	1,963.98	1,574.16	2,011.27
2014-15	2,011.27	1,293.28	1,514.20	1,790.35

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्तीय लेखे)

तालिका से देखा जा सकता है कि लोक निर्माण जमा की अंतशेष राशि में 2010-11 में ₹ 1,228.17 करोड़ से बढ़ कर वर्ष 2014-15 में ₹ 1,790.35 करोड़ तक था। जमा विभिन्न विभागों के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्य के कार्यान्वयन से संबंधित है। जिनमें से कुछ कार्य अभी चल रहे हैं और कुछ प्रकरणों में ठेकेदारों ने कार्य की समाप्ति के पश्चात भी सुरक्षा निधि की वापसी के लिए दावा नहीं किया था। इन निक्षेपों में विभिन्न प्रकार की प्राप्तियों जैसे रॉयल्टी, वैट, आयकर इत्यादि शामिल हैं जिन्हें संबंधित राजस्व शीर्षों में जमा किया जाना चाहिये था।

3.8.5. लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.8.5.1 निक्षेप पंजी का संधारण नहीं किया जाना

केंद्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता की कंडिका 15.5.1 के अनुसार, लोक निर्माण कार्य निक्षेप से संबंधित लेन-देन का अभिलेख संभागीय कार्यालय में एक पंजी में उसी प्रपत्र में जिसमें उचत पंजी, सी.पी.डब्ल्यूए प्रपत्र-67 रहता है, रखा जाना चाहिए।

तीस (33) संभागों के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि 12 संभागों¹² में निक्षेप-पंजी संधारित नहीं किए गए थे। आगे यह भी पाया गया कि सात¹³ संभागों में निक्षेप-पंजी संधारित किया गया था, लेकिन अद्यतन नहीं किए गए थे। **(परिशिष्ट 3.17)** निक्षेप-पंजी के अनुपलब्धता से इन संभागों में व्यपगत निक्षेप की वास्तविक राशि का पता नहीं लगाया जा सकता है।

इन तथ्यों को इंगित किए जाने पर कार्यपालन अभियंताओं ने कहा कि भविष्य में निक्षेप-पंजी संधारित किया जाएगा।

¹² लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सं.-3, रायपुर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, कवर्धा, लोक निर्माण (भ/स) संभाग, कवर्धा, लोक निर्माण विभाग डैम संभाग, कोरबा, लोक निर्माण विभाग संभाग संख्या- 1, बिलासपुर, लोक निर्माण विभाग संभाग (भ/स), मनेन्द्रगढ़, लोक निर्माण विभाग (भ/स), संभाग, रामानुजगंज, लोक निर्माण विभाग संभाग संख्या- 02, रायपुर, लोक निर्माण विभाग संभाग (भ/स), राजनांदगाँव, लोक निर्माण विभाग संभाग संख्या- 01, रायपुर।

¹³ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, बेमेतरा, लोक निर्माण विभाग संभाग, बेमेतरा, लोक निर्माण विभाग संभाग, बलौदाबाजार, एम.एम. मिनीमाता बांगो नहर संभाग संख्या-06, सवित, जल संसाधन संभाग कोटा, जल संसाधन विभाग संभाग, जशपुर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, दुर्ग।

3.8.5.2 व्यपगत निक्षेपों को शासन के खाते में जमा न किया जाना

केंद्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता की कंडिका 15.5.1 तथा 15.4.1 अनुबंधित करती है कि तीन संपूर्ण वर्षों से अधिक समय से दावा न की गयी राशि को शासन के खाते में व्यपगत निक्षेप के रूप में जमा कर देनी चाहिए।

अभिलेखों की जाँच से यह स्पष्ट हुआ कि 33 संभागों के नमूना जाँच में 17 संभागों में ₹ 19.04 करोड़ (परिशिष्ट 3.18) जमा का दावा नहीं किया गया जो कि तीन वर्षों से अधिक पुराने हैं तथा मुख्यतः ठेकेदारों की सुरक्षा निधि से संबंधित थे, जिन्हें व्यपगत निक्षेप के रूप में शासन के खाते में जमा नहीं किया गया था। शेष 16 संभागों में से चार संभागों में कोई भी व्यपगत निक्षेप शेष नहीं था, जबकि शेष 12 संभागों में न तो निक्षेप-पंजी का संधारण किया गया था और न ही तीन वर्षों से अधिक समय से दावा न की गई निक्षेपों की कोई सूचना दी गई। विभागवार विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

तालिका 3.10: विभागवार व्यपगत जमा का विस्तृत विवरण

विभाग का नाम	संभागों की संख्या	मदों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
लोक निर्माण	3	1073	367.13
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	5	1657	702.88
जल संसाधन	9	578	833.80
योग	17	3308	1903.81

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, कार्यपालन अभियंता ने बताया कि दावा न की गई जमा और शेष को सत्यापित कर शासन के खाते में व्यपगत जमा कर दिया जाएगा। लेकिन तथ्य यह है कि संभागों के कार्यपालन अभियंता द्वारा जमा लेखाओं का पुनरावलोकन नहीं किया गया। अतः वे नियमों का पालन करने में पूर्णतः असफल रहे।

3.8.5.3 प्राप्तियों का गलत लेखाकरण

केंद्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता की कंडिका 15.3.3 के अनुसार, प्राप्तियों के सभी मदों का वर्गीकरण जिसे एक बार में निर्धारित नहीं किया जा सकता है अथवा जो लेखाओं में त्रुटियों को दर्शाता है, उन्हें विविध जमा के रूप में वर्गीकृत कर समायोजन का इंतजार करना चाहिए जब तक कि निकासी न हो जाए।

इसके अलावा संघ और राज्यों के लेखाओं के शीर्ष महालेखा नियंत्रक (सीजीए), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से विचार-विमर्श पश्चात निर्धारित किए जाते हैं। सरकारी लेखाओं में लेन-देन का वर्गीकरण संघ तथा राज्यों के मुख्य तथा लघु शीर्ष की सूची के आधार पर निर्धारित होता है। मुख्य तथा लघु शीर्ष की सूची के अनुसार मूल्यवर्धित कर, रॉयल्टी, एवं आयकर 0040-111-मूल्यवर्धित कर, मुख्य शीर्ष-0853-102, खनिज रियायत फीस, किराया और रॉयल्टी तथा मुख्य शीर्ष-0021, निगम कर को छोड़कर आय पर कर संबंधित शीर्ष में किया जाना चाहिए।

सभी 149 संभागों के प्रपत्र-79 का परीक्षण यह स्पष्ट करता है कि मूल्यवर्धित कर की प्राप्तियाँ, रॉयल्टी और आयकर जो ठेकेदार से कटौती किये जाते हैं वे संबंधित राजस्व शीर्ष में लोक निर्माण जमा के मुख्य शीर्ष 8443-108 में रखा जाता है, जो कि अनियमित है। संबंधित राजस्व शीर्षों में अहस्तांतरण राज्य के कर तथा गैर-कर राजस्व को कम करता है तथा संबंधित वर्षों के दायित्व को लोक लेखा में अधिक दर्शाता है।

3.8.5.4 जमा लेखा में राजस्व का अवरोधन

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के नियम 29 के अनुसार शासन की ओर से एकत्र किसी भी राजस्व को शासन के खाते में तुरंत प्रेषित किया जाना चाहिए। विभिन्न प्राप्तियाँ जैसे कि ठेकेदारों/वितरकों के बिल से कटौती की गई मूल्यवर्धित कर (वैट), कर्मकार, उपकर, रॉयल्टी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क को शासन के खातों के संबंधित शीर्षों में जमा किया जाना चाहिए। आगे, कटौती किये गये कल्याण उपकर को 30 दिनों में भवन तथा सन्निर्माण कल्याण बोर्ड (बोर्ड) के लेखों में जमा किया जाना चाहिए।

अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया गया कि 30 सितम्बर 2015 की स्थिति में 11 संभागों द्वारा वर्ष 2012-13 से मार्च 2015 तक वैट, कल्याण उपकर, रॉयल्टी तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में राशि ₹ 2.30 करोड़ (परिशिष्ट 3.19) की कटौती की गई तथा इसे शासन के खातों के संदर्भित शीर्षों में जमा नहीं किया गया। इन्हें लोक निर्माण जमा में छः माह से दो वर्षों के बीच रखा गया जो कि नीचे तालिका में वर्णित है।

तालिका संख्या 3.11: राजस्व अवधारण का विभागवार ब्यौरा

(₹ लाख में)

विभाग का नाम	वैट	रॉयल्टी	कर्मकार उपकर	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	योग
लोक निर्माण	0	8.22	6.42	0	14.64
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	12.52	12.83	20.99	10.90	57.24
जल संसाधन	38.44	61.90	57.33	0	157.67
योग	50.96	82.95	84.74	10.90	229.55

आगे, वैट और रॉयल्टी का कटौती कर संबंधित राजस्व प्राप्ति शीर्षों में प्रेषित न करने से विभाग ने न केवल ₹ 1.34 करोड़ का दायित्व बनाया बल्कि इसने राज्य के राजस्व प्राप्तियों का मूल्यांकन भी कम किया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, कार्यपालन अभियंताओं ने बताया कि करों को संबंधित राजस्व शीर्षों में जमा कर दिया जाएगा।

3.8.5.5 आयकर को शासन के खाते में जमा न किया जाना

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 200 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी राशि की कटौती आयकर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार करता है, को निर्धारित समय¹⁴ के अंदर इस प्रकार कटौती की गई राशि का भुगतान तथा केंद्र सरकार के खाते में अथवा जैसा कि बोर्ड निर्देशित करें जमा करेगा।

चयनित 33 संभागों के अभिलेखों के नमूना परीक्षण से स्पष्ट हुआ कि दो संभागों में ₹ 0.02 करोड़ की राशि (₹ 21,378 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, कांकेर तथा ₹ 1,91,531.00 एम. एम. मिनीमाता बांगों नहर संभाग संख्या-06, सवित) 2012-13 के दौरान आयकर के रूप में काटी गई थी, जो कि शासन के खाते के संबंधित शीर्षों में जमा न करके लोक निर्माण जमा में रखा गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, इन दोनों संभागों के कार्यपालन अभियंताओं ने बताया कि आयकर की राशि जमा कर दिया जाएगा।

¹⁴ स्रोत से आयकर कटौती (टीडीएस) जमा करने के लिए समय आयकर अधिनियम 1961 के नियम 30 (1) के अनुसार निर्धारित है। जैसे (क) उसी दिन जहाँ आयकर का बिना चालान के प्रस्तुत किए भुगतान किया जाता है। (ब) माह की समाप्ति के सात (7) दिवसों के अंदर या सात दिवसों तक जहाँ कटौती की गई हो अथवा धारा 92 के उपधारा 1 (अ) के अनुसार आयकर बकाया हो तथा जहाँ कर का भुगतान आयकर चालान के माध्यम से किया जाता है।

3.8.5.6 प्रपत्र-79 तैयार करने में अनियमितताएँ

केंद्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता की कंडिका 15.5.3 के अनुसार, निक्षेप-पंजी से एक मासिक सार प्रपत्र-79 के रूप में तैयार किया जाना चाहिए जिसे जमा की अनुसूची के रूप में जाना जाता है। प्रपत्र-79 मासिक लेखाओं का एक भाग है जिसे संभागों के जांच तथा संकलन हेतु महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रत्येक महीने प्रस्तुत किया जाता है।

लोक निर्माण विभाग के 8¹⁵ संभागों के प्रपत्र-79 की जाँच में यह पाया गया कि माह के प्रारंभिक शेषों का मिलान पिछले माह के अंतशेषों से नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए, लोक निर्माण विभाग, संभाग बलौदाबाजार में प्रपत्र-79 में आयकर प्राप्ति मद में ₹ 2,97,53,783 के रूप में बकाया दर्शाया जा रहा है, लेकिन वास्तव में उस संभाग में कोई राशि बकाया नहीं था। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत किए जा रहे हैं प्रपत्र-79 अनियमित है। इसके अतिरिक्त अन्य नमूना जाँच संभागों में, प्रपत्र-79 कम्प्यूटर से तैयार न किए जा रहे हैं तथा उनमें कोई अंतर नहीं पाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, कार्यपालन अभियंता के द्वारा बताया गया कि प्रपत्र-79 के अंतशेषों तथा प्रारंभिक शेषों में अंतर विभागीय ई-वर्क्स सॉफ्टवेयर में तकनीकी त्रुटि के कारण हो रहा है।

तथ्य यह है कि, कार्यपालन अभियंता ने त्रुटि को स्वीकार किया लेकिन गलत आँकड़ों के फलस्वरूप निरूपवाद रूप से गलत लेखांकन का कारक होते हैं।

3.9 निष्कर्ष एवं अनुशंसायें

उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रस्तुत करना

- राज्य सरकार को जारी सहायक अनुदान के विरुद्ध विभिन्न विभागों द्वारा ₹ 16476.92 करोड़ के 15254 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे। यह विभिन्न विभागों द्वारा सहायक अनुदान के सुनियोजित उपयोग की कमी को दर्शाता है।

राज्य सरकार द्वारा जिस उद्देश्य के लिए अनुदान दिया गया है उसका समय पर उपयोग एवं उसके विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्रों को जमा करना सुनिश्चित करना चाहिए।

स्वायत्त निकायों प्राधिकरणों द्वारा लेखाओं का जमा करना:-

- स्वायत्त निकायों द्वारा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को लेखाओं को जमा करने में देरी की गई, जिससे स्वायत्त निकायों प्राधिकरणों की जांच में देरी हुई।

सरकार का स्वायत्त नियमों के लेखे समय पर महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को जमा करना सुनिश्चित करना चाहिए।

¹⁵ लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, कवर्धा, लोक निर्माण विभाग संभाग (भ/स) बलौदाबाजार, लोक निर्माण विभाग संभाग संख्या- 1, जगदलपुर, लोक निर्माण विभाग डैम संभाग, कोरबा, लोक निर्माण विभाग संभाग, रायगढ़, लोक निर्माण विभाग संभाग संख्या-1, बिलासपुर, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, मनेन्द्रगढ़ लोक निर्माण विभाग संभाग संख्या-1, अंबिकापुर।

दुर्विनियोग एवं हानि का प्रतिवेदन

- 2266 मामले में हानि तथा दुर्विनियोग के निपटान आदि में ₹ 109.21 करोड़ का अनुपालन लंबित था।

हानि आदि के सभी मामले में विभागीय जांच में तेजी लानी चाहिए।

संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक देयकों का प्रस्तुत करना

- ₹ 79.37 करोड़ के संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के खिलाफ विस्तृत आकस्मिक देयक मार्च 2015 तक लंबित था।

बकाया आकस्मिक देयक को समय पर समायोजन के लिए एक निगरानी तंत्र का होना चाहिए।

व्यक्तिगत जमा खाते का संधारण


- व्यक्तिगत जमा(पीडी) खाते शासन के विशिष्ट अधिनियमन के उत्तरदायित्व को प्रशासक द्वारा सुगमतापूर्वक संचालित करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। हमने 31 मार्च 2015 की स्थिति में पाया कि 224 पीडी खाते संचालित थे। पीडी खाते का अंतशेष 2010-11 में ₹ 496.34 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 1,630.82 करोड़ हो गया। हमने यह भी पाया कि सात नमूना जांच कोषालयों में पीडी खाते में ₹ 37.68 करोड़ अनुपयोगी थी तथा पीडी खाते वित्त विभाग की बिना अनुमति के खोले गये थे। 14 अप्रचलित पीडी खाते में ₹ 22.63 करोड़ बंद नहीं की गई तथा शेष राशि पांच वर्ष से अधिक समय से पड़ी हुई थी। वन जमा में राशि ₹ 64.23 करोड़ तथा शैक्षणिक संस्थानों में राशि ₹ 0.09 करोड़ अनियमित रूप से पीडी खाते में जमा किये गये। आगे, पीडी खातों को प्रशासक के खातों से समाशोधन संबंधित प्रशासकों द्वारा नियमित रूप से नहीं किया गया तथा पीडी खाता बही निर्धारित प्रपत्र जैसे- कोषालय संहिता के सीजीटीसी 72 में संधारित नहीं किये गये थे।

लोक निर्माण निक्षेप के अंतर्गत व्यपगत निक्षेप को खाते में जमा न किया जाना

- 17 नमूना जाँच लोक निर्माण संभागों में कुल दावा न की गई जमा राशि ₹ 19.04 करोड़ को शासन के खाते में तीन वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी जमा नहीं किया गया।
- 12 संभागों में निक्षेप-पंजी का संधारण नहीं किया गया था।
- 13 नमूना जाँच संभागों में से आठ लोक निर्माण संभागों में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत किए जा रहे प्रपत्र-79, प्रारंभिक शेषों तथा अंत शेषों का सही चित्रण नहीं करते हैं।
- मूल्यवर्धित कर, कल्याण उपकर, रॉयल्टी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा आयकर की कटौती की गई राशि को शासन के खाते या बोर्ड में जमा नहीं किया गया।


प्रत्येक वर्ष मार्च माह की समाप्ति पर तीन वर्षों से अधिक समय से दावा न की गई जमा राशि अथवा शेषों को व्यपगत निक्षेप के रूप में शासन के खातों में जमा किया जाना चाहिए। प्रत्येक संभाग द्वारा निक्षेप-पंजी का संधारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए और प्रपत्र-79 प्रारंभिक तथा अंत-शेषों का सही आँकड़ा दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

रायपुर
दिनांक


(बिजय कुमार मोहन्ती)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक


(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक